तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.11.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य चुनाव राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 22.12.23 को पेश हो।	
22/12/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। बहस सुनी गई। बहस में वकील पक्षकारान ने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। विवादित भूमि खसरा सं. 180/2 पर वादीगण खातेदार दर्ज रिकार्ड होने के कारण अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने हेतु निवेदन किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के डोल को नष्ट भ्रष्ट नही करे, बलपूर्वक प्रार्थीगण को बेदखल न तो स्वयं करे न ही अन्य किसी से ऐसा करवाऐ। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि भूमि खसरा सं. 180/2 के पूर्वी ओर कस्तूरा एवं पश्चिमी ओर प्रार्थी नूर मोहम्मद की भूमि है, उत्तर की ओर पीली की बावडी की भूमि है और खसरा सं. 183, 184 की भूमि है। यह कि प्रार्थीगण की भूमियों पर अन्य व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है। यह कि प्रार्थी को पता ही नही है कि उसकी भूमि कहां है, क्योंकि प्रार्थी कभी भी खसरा सं. 180/2 की भूमि पर काबिज [illegible] है। अतः प्रा० पत्र खारिज फरमाया [illegible] हमने प्रा० पत्र [illegible] रिकार्ड दस्तावेज [illegible] का अवलोकन किया। बहस सुनी गई। बहस मे वकील पक्षकारान द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.01.09 15:48:41 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम व हुक्म की ... में जारी
	उप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है। अतः रिकार्ड खातेदारान को प्रथम दृष्टया अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है। मूलवाद मे तरमीम शुद्धि के बिन्दु को भी निर्णित किया जाना है, इस कारण सुविधा सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रतीत होता है। वाद मे तरमीम शुद्धि का बिन्दु होने के कारण अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष मे नही है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे।	
	उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.01.09 15:48:41 IST
Reason: SelfAttested